भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 875
बुधवार, दिनांक 04 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्रधानमंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति</u>

875. श्री दर्शन सिंह चौधरी: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 300 गीगावॉट सौर ऊर्जा के योगदान के लिए प्रधान मंत्री-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत एक करोड़ रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है तथा भूमि अधिग्रहण एवं पारेषण कॉरिडोर से संबंधित बाधाओं को दूर करने की समय-सीमा क्या है;

(ख) अपतटीय पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किए जाने में विशेषकर गुजरात एवं तमिलनाडु के तटों के वर्ष 2026 तक पहली बोलियों की स्थिति के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु हरित ऊर्जा गलियारा चरण-।। के अंतर्गत सौर-नाभिकीय एकीकरण के माध्यम से बैटरी भंडारण राजसहायता तथा नियामक ढांचे में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत से, देश भर में कुल 22,65,521 रूफटॉप सौर प्रणालियां स्थापित की जा चुकी हैं, जिससे दिनांक 30.01.2026 की स्थिति के अनुसार, 8.3 गीगीवाट से अधिक सौर क्षमता की वृद्धि से 28,24,518 परिवार लाभान्वित हुए हैं।।

अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निजी डेवेलपरों द्वारा विकसित की जाती हैं और यह इन डेवलपरों की जिम्मेदारी है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करें और उनका अधिग्रहण करें। भूमि, राज्य का विषय होने के कारण, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए भूमि की पहचान और आबंटन, सामान्यतः संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के माध्यम से किया जाता है।

ट्रांसमिशन कॉरिडोर से संबंधित बाधाएं, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) समय-समय पर संबंधित एजेंसियों के साथ मामले को उठाता है।

(ख): एमएनआरई ने दिनांक 11.9.2024 को "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजना" के कार्यान्वयन के लिए योजना दिशानिर्देश जारी किए थे। इस योजना के तहत गुजरात के अपतट पर 500 मेगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

(सेकी) द्वारा दिनांक 13.09.2024 को पहली निविदा जारी की गई थी। तथापि, सेकी को कोई बोलियां प्राप्त नहीं हुई थीं। तमिलनाडु तट के लिए अपतटीय पवन परियोजना के विकास के लिए निविदा राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा किए जा रहे पवन संसाधन मूल्यांकन और अन्य अध्ययनों के परिणामों से जुड़ी है।

(ग): सरकार ने 3,760 करोड़ रुपये के परिव्यय से बड़े पैमाने पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां (बीईएसएस) के विकास के लिए एक वीजीएफ योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत, 13.22 गीगावॉट घंटे की बीईएसएस परिनियोजन क्षमता की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (पीएसडीएफ) से 5,400 करोड़ रु. के माध्यम से वित्त पोषित 30 गीगावाट घंटे की वीजीएफ योजना का उद्देश्य इन संयंत्रों के अधिकतम उपयोग के लिए 15 राज्यों में 25 गीगावाट घंटे बीईएसएस परियोजनाओं और मौजूदा एनटीपीसी उत्पादन स्टेशन पर 5 गीगावाट घंटे की सहायता करना है।

दिनांक 06.01.2022 को अनुमोदित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण- II योजना से, सात राज्यों- गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबस्टेशनों पर 10,753 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों और 27,546 मेगा वोल्ट-एम्पीयर (एमवीए) अतिरिक्त परिवर्तन क्षमता को जोड़कर लगभग 20 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत के ग्रिड एकीकरण और विद्युत निकासी को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है। इस योजना के तहत, राज्यों को परियोजना लागत की 33 प्रतिशत की दर से केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान की जाती है।
